सेवानिवृति के बाद DPC होने पर भी वित्तीय लाभ मिलता है

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.2(4)शिक्षा–2/2003 जयपुर, दिनांक 30–9–05

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर ।

विषय :– श्री सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व वर्षो की डीपीसी में चयन होने पर नोशनल वेतन निर्धारण को पेंशन की गणना के लिए परिलब्धियों का भाग मानने बाबत मार्गदर्शन के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/पेंशन–द/2004–05/मार्गदर्शन/41 दिनांक 28–7–05

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सदर्भित पत्र के क्रम मे निर्देशानुसार लेख है कि वित्त विभाग ने अवगत कराया है कि इस प्रकरण मे राजस्थान पेंशन सेवा नियम, 1996 का नियम 45 स्वय ही स्पष्ट है जो निम्न प्रकार है :–

"पेंशन, सेवा, ग्रेच्यूटी एंव निवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्यूटी के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति "परिलब्धियों" से राजस्थान. सेवा नियमों के नियम 7(24) में यथा–परिभाषित वेतन अभिप्रेत है जिसे सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था या उसके लिए हकदार था"

इस प्रकार पूर्ववती वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति, जो कि पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व ही सेवानिवृत हो चुके है, उन्हे नोशनल वेतन निर्धारण का लाभ दिया जावेगा तथा उक्त नियमों के अंतर्गत उन्हें हकदार मानते हुए परिलब्धियों में गिना जायेगा । अतः इस प्रकार के प्रकरणों मे तदनुसार ही आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत करानें की व्यवस्था करावें ।

भवदीय,
ह0/–
शासन उप सचिव–प्रथम

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

क्रमांक शिविरा–माध्य/पेंशन–द/2004–05/निमार्गदर्शन/61 दिनांक 24-10-2005
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक/प्रशिक्षण) कार्यालय हाजा
3. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)
5. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा मय सात अतिरिक्त प्रतियां

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

www.rajteachers.com

पंजीयन संख्या 5/80-81
E Mail - mpandey09@ymail.com

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
RAJASTHAN PRATHAMIK AVEM MADTHYAMIK SHIKSHAK SANGH

रा.प्रा.एवं मा.शि.सं./बीका/प्रदेश/2017-18 दिनांक 30-09-18

मित्रों 20 अगस्त को अजमेर में हुई डीईओ डीपीसी 2018-19 में चयनितों में से अनेक 30 सितम्बर तक सेवानिवृत्त हो गए हैं। पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण वे प्रिन्सिपल पद से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वे सभी चयनित वर्ष 2018-19 में चयनित डीईओ हैं। राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप -2) विभाग के शासन उप सचिव द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2 (4) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 30-9-2005 और मुख्य लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक - शिविरा - माध्य /पेंशन-द/2004-05/निमार्गदर्शन / 61 दिनांक 24-10-2005 में स्पष्ट किया गया है कि पदौन्नती पर जोईन से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें नोशनल वेतन निर्धारण का लाभ दिया जायेगा। उन्हें पदौन्नती पद का हकदार परिलभधियों में गिना जायेगा।

ऊधर जयपुर बीकानेर के बीच चयनितों में से जो 30 सितम्बर तक सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके रिक्त पदों पर rr सूचि वालों को लगाने की कवायत चल रही है। जल्दी ही डीईओ पोस्टिंग की उम्मीद करना गलत नहीं होगा।

आपका विश्वासी

(महेन्द्र पाण्डे)
महामंत्री

www.rajteachers.com

प्रान्तीय कार्यालय- 44-ए, पाण्डे कालोनी चौतीना कुआ बीकानेर। मोबाइल 9928370327